पत्र सं0-स्था0-6-सामान्य निर्देश (132) भाग-3/2020-21/ 5293 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक:: 24 मार्च, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विभाग के अधीन विभिन्न कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेखों का रख-रखाव समुचित ढंग से न होने के कारण कार्यालयों में गन्दगी एवं स्थानाभाव की समस्या बनी रहती है। विभाग के सभी कार्मिकों का यह दायित्व है कि वे अपने आवंटित कार्य के अतिरिक्त कार्यालय की सफाई व्यवस्था को भी बनाये रखने में अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि विभाग के प्रत्येक कार्यालय में सफाई व्यवस्था बनी रहे।

अत: विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश दिये जाते है कि वे कार्यालय परिसर की साफ-सफाई, विशेष कर पुरुष / महिला शौचालयों की नियमित साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करें। यदि जिन कार्यालयों में महिला शौचालय उपलब्ध नही है, वहॉ तत्काल अस्थाई व्यवस्था करते हुए स्थाई महिला शौचालय बनवाये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करायी जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। यदि इन निर्देशों के बावजूद किसी स्तर पर इस कार्य में लापरवाही / शिथिलता बरती जाती है तो सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जायेगी।

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अनुपालन कराये जाने हेतु प्रेषित:-

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (आई0टी0), वाणिज्य कर, मुख्यालय को एक प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने एवं अनुपालनार्थ।

24/03/2021
एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।